

2017

**फार्म**

वर्ष के लिए अथवा सम्पत्ति विवरण

1-1-2018

1. अधिकारी का नाम सुनील कुमार शर्मा

(पूरा नाम व सेवा जिससे अधिकारी संबंधित है।)

2. वर्तमान पद सुपरिन्टेन्डेंट

वर्तमान वेतन 1,05,650/-

उस जिले, उप-प्रभाग, ताल्लुक और गाँव का नाम जहाँ सम्पत्ति स्थित है।	आवासीय भूमि और अन्य भवनों आदि की सम्पत्ति का नाम व पूरा खीरा।	वर्तमान मूल्य	यदि अपने स्वयं के नाम में नहीं है तो बतायें कि किसके नाम से है तथा उससे सत्कारी कर्मचारी का क्या सम्बन्ध है ?	सम्पत्ति कैसे अर्जित की ? क्या खरीदी गई, पट्टे पर ली गई, बंधक, उत्तराधिकार, उपहार अथवा किसी अन्य ढंग से ली गई। तारीख जिससे अधिकार में ली गई तथा उस व्यक्ति का नाम जिससे ली गई।	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अन्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
<p>जुहापुर एला प्लॉ-14 गोल्डन वॉल दीपनगर लखनऊ जालंधर एला</p>	<p>रिहायशी</p>	<p>जालंधर</p>	<p>लखनऊ एला</p>	<p>अधिकार विधेय श्रमिक युग्मक द्वारा 1999-2000 में खरीदी गई है।</p>	<p>शून्य</p>	

दिनांक 19/01/2018  
(जो अंश खाल न हो काट दें।)

हस्ताक्षर सुनील कुमार शर्मा  
 पूरा नाम सुनील कुमार शर्मा  
 पदनाम/पेड सुपरिन्टेन्डेंट  
 रोड/क्रेजा संख्या 213  
 कार्यालय का नाम जालंधर एला

(2.) जिन मामलों में सम्पत्ति के मूल्य का निर्धारण सम्भव नहीं हो सकता है तो वर्तमान स्थितियों के हवाले से मूल्य बतायें।  
 टिप्पणी : वित्त मंत्रालय के 17.09.56 के कां०/ए०/स० (165)/ई-1/56 के अनुसार इस घोषणा पत्र को सेवा के प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके द्वारा खरीदी अथवा सम्पत्ति खीरा चाहे अपने नाम में हो अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अर्जित अथवा उत्तराधिकार के माध्यम से प्राप्त अथवा उसे खरीदा पट्टे पर अथवा बंधक ली गई अथवा अन्य विधुदित के समर्थन में कर देना अनिवार्य है और उसके पश्चात हर वर्ष देना होगा।